मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5145
04.04.2022 को उत्तर के लिए

मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए उपाय

5145. श्री सी. पी. जोशी :
श्री संगम लाल गुप्ता :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना लागू की है या निकट भविष्य में कोई योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह के प्रयोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत और आवंटित की गई है और इसमें से कितनी राशि खर्च की गई है; और
(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) सरकार मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों क्रियान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी) जन सहभागिता के माध्यम से अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पुनर्बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्रामीण स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) की तीन स्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनएपी के तहत वर्ष 2018-21 के दौरान 37110 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इलाके के देखभाल के लिए राज्यों को 157.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

शामिल क्षेत्र और जारी की गई निधि के संबंध में राज्य-वार विवरण क्रमश: **अनुबंध-I** और **II** पर दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य वन और गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से भारत के वनावरण को संरक्षित करना, पुनर्बहाली करना और वृद्धि करना है। जीआईएम गतिविधियों को वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। 117503 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और एक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को 594.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में 298.10 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 233.44 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के माध्यम से मांग प्रेरित कार्योन्मुख अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। कुछ परियोजनाओं में भूमि बहाली के लिए मॉडल का विकास, मृदा संरक्षण और जल संभर प्रबंधन आदि शामिल हैं। एनएमएचएस के तहत 10.84 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे और पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है। **अनुबंध-III** पर ब्यौरा दिया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल संभर विकास घटक के तहत वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमियों के विकास के उद्देश्य के साथ एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) कार्यान्वित किया जाता है। शुरू किए गए कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ इंटरवेंशन के माध्यम से रिज एरिया शोधन, ड्रेनेज लाइन शोधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजित करना, चरागाह विकास, आजीविकाएं शामिल हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन के साथ सतत विकास और बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

*****

अनुबंध-I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत कवर किए गए क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

अनुमोदित अग्रिम कार्य क्षेत्र

वर्ष-वार सार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
		2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1480	0	0	1480
2	बिहार	1550	1935	0	3485
3	छत्तीसगढ	2000	3500	0	5500
4	गोवा	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	45	0	45
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
9	झारखंड	0	0	0	0
10	कर्नाटक	6085	0	0	6085
11	केरल	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0
14	ओडिशा	3188	6335	0	9523
15	पंजाब	0	0	0	0
16	राजस्थान	0	0	750	750
17	तमिलनाडु	0	0	0	0
18	तेलंगाना	0	0	0	0
19	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
20	उत्तराखंड	0	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
23	असम	373	0	0	373
24	मणिपुर	0	0	0	0
25	मेघालय	0	0	0	0
26	मिजोरम	1960	0	0	1960
27	नगालैंड	0	6100	0	6100
28	सिक्किम	0	0	0	0
29	त्रिपुरा	0	1809	0	1809
	कुल	**16636**	**19724**	**750**	**37110**

अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष-वार जारी (करोड़ रुपये में)			पिछले तीन वर्षों में कुल जारी राशि (करोड़ रुपये में)	पिछले तीन वर्षों में कुल उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)
		2018-19	2019-20	2020-21		
1	आंध्र प्रदेश	6.38			6.38	6.38
2	बिहार		1.18	0.8	1.98	1.98
3	छत्तीसगढ	7.82	5.71	9.88	23.41	23.41
4	गोवा					
5	गुजरात					
6	हरियाणा					
7	हिमाचल प्रदेश	2.92	0.52	0.57	4.01	3.50
8	जम्मू और कश्मीर					
9	झारखंड					
10	कर्नाटक	10.99			10.99	10.99
11	केरल					
12	मध्य प्रदेश	7.78		0.57	8.35	5.27
13	महाराष्ट्र	15.33			15.33	9.97
14	ओडिशा	11.36	8.45	13.67	33.48	33.48
15	पंजाब					
16	राजस्थान	1.95			1.95	1.95
17	तमिलनाडु	2.07			2.07	0
18	तेलंगाना					
19	उत्तर प्रदेश	0.32			0.32	0
20	उत्तराखंड	2.58		1.06	3.64	3.07
21	पश्चिम बंगाल					
22	अरुणाचल प्रदेश					
23	असम	0.58			0.58	0
24	मणिपुर	4.38			4.38	4.38
25	मेघालय	0.74			0.74	0.74
26	मिजोरम	7.79		7.4	15.19	15.19
27	नगालैंड	6.41	2.35	4.27	13.03	13.03
28	सिक्किम	5.98		0.88	6.86	6.86
29	त्रिपुरा		3.76	1.33	5.09	5.09
	कुल	**95.38**	**21.97**	**40.43**	**157.78**	**145.29**

अनुबंध-III

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में स्वीकृत एवं उपयोग की गई राशि

वर्ष	राज्य	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2018-19	उत्तराखंड	0.34	0.34
	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.19
2019-20	उत्तराखंड	1.61	1.61
	सिक्किम	0.23	0.23
	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.27
2020-21	उत्तराखंड	3.60	3.60
	हिमाचल प्रदेश	2.30	2.30
	मणिपुर	1.20	1.20
	नगालैंड	1.10	1.10
कुल		**10.84**	**10.84**

*****